न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः— 12/89/2024 रजू दिनांकः 01.07.2024 रजि0 न0 2023/155

अपीलार्थीः—

श्री विनीत कुमार गर्ग पुत्र श्री हरिराम अग्रवाल किले के पास, पोस्ट मालाखेड़ा, 301406, अलवर (राजस्थान)

प्रत्यर्थीः—

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

——:: निर्णय ::——

दिनांकः— 06.08.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 22.04.2024 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 09.07.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक सम/1448 दिनांक 25.07.2024 के द्वारा प्रतिलिपि भेजकर अवगत कराया है, कि आवेदन दिनांक 23.05.2024 के माध्यम से पूर्व प्रेषित परिवेदना पत्र दिनांक 22.04.2024 के परिप्रेक्ष्य में की गई कार्यवाही बाबत सूचना/प्रति चाही गई थी। प्रासांगिक नोटिस के अनुक्रम में लिखे जाने पर, प्रभारी अधिकारी, सामान्य प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट, अलवर के पत्र सं0 सामान्य/आरटीआई/2024/1211 दिनांक 24.07.2024 के मायध्म से कुल 03 पृष्ठीय सूचना प्राप्त हुई है, जो नियमानुसार अधिप्रमाणित कर अपिलार्थी को भिजवाई जा चुकि है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी के द्वारा पत्रांक 1447 दिनांक 25.07.2024 के माध्यम से विनिश्चय कर सूचना अपीलार्थी को प्रेषित की जा चुकि है, अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. उक्त आलोक में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 06.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज.)

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर अलवर
(राज0)